



INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT AUTHORITY

(A GOVERNMENT OF BIHAR UNDERTAKING)

First Floor, Udyog Bhawan, East Gandhi Maidan, Patna-800 004

E-mail: md@idabihar.com, Website-www.idabihar.com, Phone- 0612-2675933, 2675935, Fax-2675934

SHORT NOTICE INVITING TENDER No. 12/TEN/IDA/20 (Single Bid System)

(केवल ई-टेंडरिंग पद्धति के अनुसार वेबसाइट www.eproc.bihar.gov.in)

कार्य का विवरण :

क्र. सं.	कार्य का नाम	कुल प्राक्कलित राशि (रु०)	अग्रधन की राशि (रु०)	परिमाण विपन्न का मूल्य (रु०)	कार्य समाप्ति की अवधि
1	Construction of Dye House at Katoria, Banka.	15,12,425.00	30,500.00	5000.00	04 Months
2	Construction of Building for Design studio and product development centre at Jagdishpur, Bhagalpur.	26,72,585.00	53,500.00	5000.00	05 Months

निविदा समय-सारणी (Tender Schedule)

क्र.सं.	गतिविधि	स्थान, तिथि एवं समय
1	विज्ञापनदाता का नाम	आधारभूत संरचना विकास प्राधिकार, प्रथम तल, उद्योग भवन, गांधी मैदान के पूरब, पटना-800004
2	निविदा आमंत्रण सूचना निर्गत की तिथि	दिनांक 01.07.2020
3	निविदा डाउनलोड तिथि एवं समय	दिनांक 10.07.2020 से 17.07.2020 को 15:00 बजे तक (on website www.eproc.bihar.gov.in)
4	प्री-बीड मीटिंग की तिथि, समय एवं स्थान	दिनांक 13.07.2020 को 15:00 बजे आधारभूत संरचना विकास प्राधिकार, प्रथम तल, उद्योग भवन, गांधी मैदान के पूरब, पटना-4
5	निविदा अपलोड करने की अंतिम तिथि एवं समय	दिनांक 18.07.2020 को 15:00 बजे तक (on website www.eproc.bihar.gov.in)
6	अग्रधन राशि एवं सभी शपथ पत्र की मूल प्रति जमा करने की अंतिम तिथि, समय एवं स्थान	दिनांक 20.07.2020 को 15:00 बजे तक पी0डी0ए0 शाखा, आधारभूत संरचना विकास प्राधिकार, प्रथम तल, उद्योग भवन, गांधी मैदान के पूरब, पटना-800004
7	तकनीकी बीड खोलने की तिथि एवं समय	दिनांक 20.07.2020 को 15:30 बजे तक (on website www.eproc.bihar.gov.in)
8	वित्तीय बीड खोलने की तिथि, समय एवं स्थान	तकनीकी बीड के निष्पादन के पश्चात्। (on website www.eproc.bihar.gov.in)
9	निविदा वैधता की अवधि	120 दिन

नियम एवं शर्तें:-

1. कोई भी संवेदक जो केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकार/उपक्रमध्वोर्द/निगम में निबंधित अथवा ख्याती प्राप्त राष्ट्रीय/अन्तरराष्ट्रीय स्तर के हो निविदा में भाग ले सकते हैं, परन्तु उक्त कार्य का लेटर ऑफ एक्सेप्टेन्स प्राप्त होने के बाद एकरारनामा के पूर्व समुचित श्रेणी में आधारभूत संरचना विकास प्राधिकार के साथ रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा।

2. निम्न संवेदक निविदा में भाग लेने के पात्र नहीं होंगे -

(i) डीवार या काली सूचि में दर्ज

(ii) जिनके पास एकरारनामा के अनुसार कार्य समाप्ति के तिथि के पश्चात् अकारण कार्य लंबित हो

(iii) जो संवेदक कार्य आवंटन के उपरांत निर्धारित अवधि में एकरारनामा नहीं किये हों एवं

(iv) जो संवेदक कार्य आवंटन के बाद एकरारनामा कर लिए हो, परन्तु कार्य अकारण प्रारम्भ नहीं किये हों।

3. निविदा केवल ई-निविदा पद्धति के अनुसार वेबसाइट www.eproc.bihar.gov.in पर निष्पादित किया जाएगा। इच्छुक निविदादाता को सर्विस प्रोवाइडर के साथ रजिस्टर्ड होना होगा ताकि वेबसाइट www.eproc.bihar.gov.in के माध्यम से निविदा प्रक्रिया में भाग ले सके। इसके लिए इच्छुक निविदादाता E-Procurement Helpdesk at 1st floor, M/22, Bank of India Building, Road No.- 25, Sri Krishna Nagar, Patna-800020] फोन नं०- 0612-2523006, मो०- 07542028164 से सम्पर्क करें।

4. (i) e-tendering/e-procurement प्रणाली के तहत निविदा हेतु बीड प्रोसेसिंग शुल्क एवं परिमाण विपन्न का मूल्य (जो लौटाया नहीं जायेगा) का भुगतान Online Mode (e-payment mode) यानि Internet Payment Gateway (Credit/Debit Card), Net NEFT/RTGS द्वारा किया जाना अनिवार्य है।

(ii) e-tendering/e-procurement प्रणाली के तहत निविदा में अग्रधन के रूप में जमा की जाने वाली राशि Online Mode (e-payment mode) अथवा Physical Payment System में स्वीकार होगा। Online Mode के तहत अग्रधन की राशि Internet Payment Gateway (Credit/Debit Card) Net Banking NEFT/RTGS के माध्यम से जमा किया जा सकता है।

responsibility for the delay/non submission of tender/non reconciliation of online payment caused due to non availability of Internet connection, network traffic/holiday or any other reasons."

5. Physical mode/manual payment system के तहत अग्रधन की राशि राष्ट्रीय/अनुसूचित बैंक पिक्स डिपोजिट जो निविदा प्राप्ति के अंतिम तिथि के छः माह तक मान्य हो/किसान विकास पत्र/बैंक सावधि जमा पासबुक/एक, दो, तीन वर्षीय/डाकघर सावधि जमा पासबुक/राज्य के अंदर निर्गत चालू राष्ट्रीय बचत प्रमाण-पत्र 5 वर्षीय राष्ट्रीय विकास बॉन्ड/राज्य विकास ऋण प्रमाण-पत्र/बैंक गारंटी प्राक्कलित राशि एक करोड़ एवं ऊपर की स्थिति में जो बीड के मान्य अवधि तक के लिए बिहार अवस्थित किसी राष्ट्रीयकृत बैंक से निर्गत हो अथवा बिहार लोक निर्माण संहिता/वित्त नियमावली में प्रावधानित किसी भी रूप में होना चाहिए, जो Infrastructure Development Authority, Patna के नाम से निविदा प्रकाशन की तिथि के बाद की तिथि में विधिवत प्रतिज्ञित हो एवं निविदा प्राप्ति की तिथि से कम से कम छह महीने के लिए विधिमान्य हो की मूल प्रति जिसे दिनांक 20.07.2020 को अपराह्न 3:00 बजे तक आधारभूत संरचना विकास प्राधिकार, पटना के पी0डी0ए0 शाखा में जमा करना अनिवार्य होगा अन्यथा उनके निविदा को अमान्य कर दिया जायेगा। बिहार राज्य के बाहर के बैंक से निर्गत बैंक गारंटी दिया जाता है तो एकरारनामा के पूर्व इसे बिहार अवस्थित किसी बैंक से निर्गत किया जाना अनिवार्य होगा।

6. संवेदक परिमाण विपत्र, Bid Sheet etc. सिर्फ वेबसाइट से प्राप्त करने के उपरान्त वेबसाइट पर इलेक्ट्रॉनिक निविदा पत्र को भर कर अपलोड करेंगे। अन्य सभी कागजात या अग्रधन की राशि सभी प्रमाण पत्र जो निविदा के लिए आवश्यक है, को स्कैन कर ई-निविदा के साथ संलग्न करना अनिवार्य है।

7. संवेदक अपने सभी अभिलेखों को स्वहस्ताक्षरित तिथि सहित अंकित हो, करने के पश्चात् स्कैन कर कागजातों को अपलोड करने के पूर्व सूचीबद्ध करते हुए क्रम अंकित करेंगे ताकि किसी खास कागजात को क्रमांक संख्या/पृष्ठ संख्या के आधार पर शीघ्र खोजा जा सके। सभी अभिलेख PDF, MS Office (Compatibility Mode), JPEG, ZIP Format में ही Upload किया जाय अन्य Format में Upload Document ds Download/Open नहीं होने पर कोई दावा मान्य नहीं होगा।

8. संवेदक स्कैन कर अपलोड किये गये कागजातों की Download एवं Visibility से पूर्णरूपेण संतुष्ट हो लेंगे। संलग्न कागजात अपठनीय या अस्पष्ट रहने की स्थिति में उस कागजात पर विचार नहीं किया जायेगा।

9. Before uploading tenders, bidders are advised to go through the General Conditions, Special Conditions and conditions of the F2 & NIT uploaded with the tender document.

10. इंटरनेट सेवा में किसी प्रकार की त्रुटि/व्यवधान होने के संबंध में संवेदक का कोई दावा मान्य नहीं होगा। निविदाकारों को सलाह दी जाती है कि अपने निविदा को समय रहते उपर्युक्त वेबसाइट पर अपलोड कर लें। ताकि अंतिम समय में होनेवाले किसी प्रकार के व्यवधान से बच सकें।

11. निम्नलिखित आशय का शपथ पत्र कार्यपालक दंडाधिकारी/नोटरी द्वारा निर्गत हो (जो निविदा सूचना प्रकाशन के बाद का हो) मूल में दिनांक 20.07.2020 को समय 3:00 बजे अपराह्न तक आधारभूत संरचना विकास प्राधिकार, पटना के पी0डी0ए0 शाखा में जमा करना अनिवार्य होगा अन्यथा उनके निविदा को अमान्य कर दिया जायेगा।

(क) मेरे/हमारे विरुद्ध किसी प्रकार का आपराधिक मामला किसी भी न्यायालय में विचाराधीन नहीं है।

(ख) मुझे/हमें किसी सरकारी/अर्द्धसरकारी प्रतिष्ठान द्वारा वंचित (Debar), काली सूची (Black listed) में दर्ज एवं विगत एक वित्तीय वर्ष के अंदर एकरारनामा रद्द (Rescind) नहीं किया गया है।

(ग) मेरा/हमारा कोई निकटतम संबंधी (अभिप्रेत है पति/पत्नी, माता/पिता, भाई/बहन तथा इस तरह के ससुराल पक्ष के संबंधी) आधारभूत संरचना विकास प्राधिकार में कनीय अभियंता/सहायक अभियंता/कार्यपालक अभियंता/लेखा पदाधिकारी/लेखापाल इत्यादि के रूप में कार्यरत नहीं है।

(घ) निविदा में संलग्न सभी प्रमाण-पत्र, कागजात, विवरणी सत्य है।

(ङ) उपर्युक्त कंडिका 'क', 'ख' एवं 'ग' में गलत सूचना देने का दोषी पाये जाने अथवा कंडिका 'घ' में से कोई अभिलेख असत्य, नकली, जाली पाये जाने पर सक्षम प्राधिकार मेरे ऊपर विधि सम्मत दण्ड, मेरे निबंधन को काली सूची में दर्ज करने, प्राथमिकी दर्ज करने की कार्यवाई के लिए स्वतंत्र होंगे।

12. उपर्युक्त कंडिका 'क', 'ख' एवं 'ग' एवं 'घ' में गलत सूचना देने का दोषी पाये जाने अथवा कंडिका 'घ' में से कोई अभिलेख असत्य, नकली, जाली पाये जाने पर सक्षम प्राधिकार द्वारा अग्रधन की राशि जब्त कर लिया जायेगा तथा उनके उपर विधि सम्मत दण्ड, संवेदक के निबंधन को काली सूची में दर्ज करने, प्राथमिकी दर्ज करने की कार्यवाई के लिए स्वतंत्र होंगे।

13. प्राक्कलित राशि एवं अग्रधन की राशि में घटोत्तरी या बढ़ोत्तरी हो सकती है। निविदा कागजात में अंकित प्राक्कलित राशि एवं अग्रधन की राशि मान्य होगी।

14. यंत्र संयंत्र के रूप में संलग्न प्रमाणक पर TIN/VAT/GST अंकित रहना अनिवार्य होगा अन्यथा मान्यता नहीं दी जायेगी।

15. विशेष शर्तें निविदा अभिलेख में देखी जा सकती है।

16. इस निविदा से संबंधित Corrigendum/Addendum प्राधिकार के वेबसाइट www.idabihar.com एवं www.eproc.bihar.gov.in पर ही प्रकाशित किया जाएगा।

17. निविदा से संबंधित किसी भी प्रकार का Clarification प्री-बीड मीटिंग में ही discuss होगा। प्री-बीड मीटिंग का निर्णय www.idabihar.com एवं www.eproc.bihar.gov.in पर upload किया जाएगा।

18. निविदादाताओं को निविदा डालने के पूर्व कार्य एवं कार्य स्थल, प्राक्कलन एवं क्वैरी साइट इत्यादि की स्थिति एवं निर्माण सामग्रियों की उपलब्धता से पूर्णरूप से संतुष्ट होने के पश्चात् ही निविदा जमा करने का परामर्श दिया जाता है एवं ऐसा माना जायेगा की कार्य एवं कार्यस्थल से भली भांति अवगत होने के पश्चात् दर डाला गया है। इस संबंध में बाद में किसी भी प्रकार का दावा मान्य नहीं होगा।

19. यदि किसी कारणवश निविदा प्राप्त की तिथि को अवकाश घोषित होता है, तो निविदा अगले कार्यकारी दिन को नियत समय पर प्राप्त की जायेगी एवं खोली जायेगी।

21. Even though the bidders meet the qualifying criteria, they are subject to be disqualified if they have record of poor performance such as abandoning the works, not properly completing the contract, inordinate delays in completion, litigation history or financial failure in the work of this Corporation.

22. Financial bid में कई सफल निविदादाताओं का समान न्यूनतम निविदित दर की स्थिति में सफल निविदादाता का चयन बिहार लोक निर्माण विभाग संहिता के अनुरूप लॉटरी के माध्यम से किया जायेगा।

23. परिमाण विपत्र के दर से कम दर (Serious Unbalanced) अंकित करने वाले निविदादाताओं को एकरारनामा के साथ पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक - प्र0-6/द0बी0 नियम -03-08/2006 (अंश) 448 (s) ई0 पटना, दिनांक 16.01.2020 के कडिका के आधार पर वर्णित दर से Additional Performance Guarantee देय होगा।

24. कार्य का Defect Liability Period कार्य समाप्ति की तिथि से तीन वर्ष का होगा एवं इस अवधि में किसी भी प्रकार की खराबी या मरम्मत का उत्तरदायित्व संवेदक के उपर होगा तथा बिना किसी अतिरिक्त भुगतान किये इस प्रकार की त्रुटियों को संवेदक द्वारा ठीक करना होगा। अगर संवेदक द्वारा इन त्रुटियों का ठीक नहीं किया जाता है तो किसी अन्य माध्यम से इसे ठीक करा लिया जायेगा और इसमें हुई लागत की भरपाई संवेदक के जमानत की राशि से की जायेगी। पूरा या बचा हुआ जमानत की राशि Defect Liability Period की समाप्ति अर्थात् कार्य पूर्ण होने की तिथि से तीन साल के बाद लौटा दी जायेगी। फॉर्म F-2 के Clause No.-16 को इस हद तक संशोधित समझा जायेगा।

25. कार्यावटन के पश्चात् बिहार सरकार द्वारा जारी संकल्प एवं परिपत्रों में दिये गये निर्देशों का निर्माण कार्य में पालन करना अनिवार्य होगा।

26. कार्य का भुगतान, निधि की उपलब्धता के पश्चात् किया जायेगा। विलंब से भुगतान होने की स्थिति में किसी प्रकार का ब्याज देय नहीं होगा।

27. बिहार भवन एवं सन्निमार्ग कर्मकार बोर्ड के मद में संवेदक के प्रत्येक विपत्र से 1: (एक प्रतिशत) राशि लेबर सेस के रूप में देय होगी, जो विपत्र से काट ली जायेगी।

28. बिहार सरकार द्वारा समय-समय पर दिये गये निदेश के तहत जी0एस0टी/स्वामित्व/मालिकाना फीस इत्यादि की कटौती किया जायेगा।

29. बिना कोई कारण बताये निविदा को अस्वीकृत करने/रद्द करने/निविदा के सभी/किन्हीं कार्यों को या किसी कार्य के किन्ही अंश/अंशों को रद्द करने का अधिकार सक्षम प्राधिकार को सुरक्षित है। इसके लिए किसी भी प्रकार का कोई दावा मान्य नहीं होगा।

30. एकरारनामा के समय सफल निविदादाता को स्वीकृत निविदा की राशि का 5 % अग्रधन देय होगी जिसमें निविदा के समय दी गयी राशि भी सम्मिलित होगी।

31. इस विज्ञप्ति की सभी बातें/शर्तें एकरारनामा का अंश समझी जायेगी।

32. निविदा की विस्तृत शर्तों एवं आवश्यक सूचना आधारभूत संरचना विकास प्राधिकार, कार्यपालक अभियंता (पी0डी0ए0) या निदेशक (कार्यक्रम कार्यान्वयन) पटना के कार्यालय में कार्य अवधि में संपर्क किया जा सकता है तथा कार्यालय के सूचना पट्ट एवं वेबसाइट www.idabihar.com एवं वेबसाइट www.eproc.bihar.gov.in पर देखा जा सकता है तथा ई-टेंडरिंग की प्रक्रिया से संबंधित किसी प्रकार की जानकारी/सूचना हेतु सहायता कक्ष एम/22, रोड नं0-25, प्रथम तल्ला, बैंक ऑफ इंडिया भवन श्रीकृष्णा नगर, पटना से दूरभाष संख्या 7542028164 एवं 0612-2523006 पर संपर्क किया जा सकता है।

कार्यपालक अभियंता (पी0डी0ए0)

ज्ञापांक:- 1402/P.DA

दिनांक:- 01-07-2020

प्रतिलिपि :- 1. सूचना पट्ट पर प्रकाशन हेतु जनसम्पर्क पदाधिकारी को आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. वेबसाइट पर प्रकाशन हेतु कम्प्यूटर प्रोग्रामर को आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

कार्यपालक अभियंता (पी0डी0ए0)